झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 7 वि०शा०/मु० देवघर–11–05/2019 ज०स० – 19/19-20 प्र०सं० /राँची, दिनांक 26.12.2019

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **चंदन उच्च स्तरीय नहर के झारखण्ड भाग में चेन 1224 (कि०मी० 37.31) से चेन 1331 (कि०मी० 40.57) त्रिवेणी वीयर तक नहर का लाईनिंग एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रू० 1090.61 लाख (रूपये दस करोड़ नब्बे लाख एकसठ हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर प्रक्षेत्राधीन चंदन उच्च स्तरीय नहर के झारखण्ड भाग में चेन 1224 (कि०मी० 37.31) से चेन 1331 (कि०मी० 40.57) त्रिवेणी वीयर तक नहर का लाईनिंग एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रू० 1090.61 लाख (रूपये दस करोड़ नब्बे लाख एकसठ हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. चंदन डैम से झारखण्ड जाने वाली नहर डकाई से निकलती है। वीयर H/R पर इस नहर का रूपांकित जलश्राव 213 क्यूसेक है। जबकि झारखण्ड भाग को इस नहर से लगभग 175 क्यूसेक पानी मिलने की संभावना है।

4. नहर के विभिन्न बिन्दुओं पर बने संरचना यथा ब्रीज, सी०डी०, फॉल, आउटलेट, इनलेट इत्यादि का मरम्मति का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया है।

5. इस कार्य के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये जाने का प्रावधान है –

   (i) चेन सं० 1224 से 1331 के बीच चंदन उच्च स्तरीय नहर के झारखण्ड भाग में नहर का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य।

   (ii) इसके अन्तर्गत पड़ने वाले सी०डी० ब्रीज, आउटलेट, इनलेट, फॉल इत्यादि का निर्माण एवं मरम्मति कार्य।

   (iii) डकाई नहर के अंतिम छोर पर Escape Regulator का पुनर्स्थापन कार्य।

6. इस योजना के पुनरूद्धार कार्य को वर्ष 2019–20 में प्रारंभ कर वर्ष 2020–21 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

7. इस नहर के पुनरूद्धार कार्य हो जाने से गोड्डा जिलान्तर्गत रब्बी सिंचाई भी प्रदान की जा सकेगी।

8. जीर्णोद्धार कार्य के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टील फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करा ली जायेगी।

9. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिसे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

10. इस योजना में होने वाला व्यय "मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –800–अन्य व्यय, उप शीर्ष–54–पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य", के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

11. वर्ष 2019–20 के लिये स्वीकृत बजट में पुरानी सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है –

    a) शीर्ष 49S – 4701 – 80 – 800 – 54 – 05 – 45 में रू० 36000.00 लाख

12. प्रस्तावित कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा शिविर महगामा होंगे तथा अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, दुमका एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

13. जीर्णोद्धार कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. कार्य के लिये राशि की निकासी गोड्डा कोषागार, गोड्डा से की जायेगी।

15. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

16. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

17. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

18. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

19. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

20. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

15.7.19

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :– 7 वि०शा०/मु० देवघर–11–05/2019 ज०सं० – 19/19-20 प्र०स०/राँची, दिनांक 26.07.2019

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.7.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 7 वि०शा०/मु० देवघर–11–05/2019 ज०सं० – 19/19-20 प्र०स०/राँची, दिनांक 26.07.2019

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.7.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 7 वि०शा०/मु० देवघर–11–05/2019 ज०सं० – 19/19-20 प्र०स०/राँची, दिनांक 26.07.2019

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/ कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शिविर महगामा/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.7.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 7 वि०शा०/मु० देवघर–11–05/2019 ज०सं० – 19/19-20 प्र०स०/राँची, दिनांक 26.07.2019

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

26.7.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 7 वि०शा०/मु० देवघर–11–05/2019 ज०सं० – 19/19-20 प्र०स०/राँची, दिनांक 26.07.2019

प्रतिलिपि :– मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26.7.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव